कार्यालय प्राचार्य, शासकीय ग्राम्य भारती महाविद्यालय
हरदीबाजार,जिला-कोरबा (छ.ग.)

NAAC द्वारा बी ग्रेड प्राप्त

Email-gbvphardibazar@gmail.com,Web.-ggbc.ac.in, विशिष्ट कोड–3109,Contact No. 7987342256

क्रमांक- 998 /2026 हरदीबाजार, दिनांक- 5 /11/2026

//अतिथि व्याख्याता हेतु संक्षिप्त विज्ञापन//

शासकीय ग्राम्य भारती महाविद्यालय, हरदीबाजार, जिला कोरबा (छ.ग.) के प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/क्रीड़ाधिकारी के नियमित रिक्त पदों के विरूद्ध अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता एवं अतिथि शिक्षण सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक अपने समस्त प्रमाण–पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 16.11.2026, को सायं 5:30 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा ।

क्रमांक	विषय	रिक्त पद एवं संख्या
		सहायक प्राध्यापक/क्रीड़ाधिकारी पद के विरूद्ध
01.	अंग्रेजी	01
02.	क्रीड़ा	01
	योग	02

नोटः– विस्तृत विज्ञापन संस्था के नोटिस बोर्ड,महाविद्यालय की वेबसाईट **www.ggbc.ac.in** में अपलोड किया गया है। जिससे विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है ।

प्राचार्य
शास.ग्राम्य भारती महाविद्यालय हरदीबाजार,
जिला– कोरबा (छ.ग.)

प्राचार्य
शास. ग्राम्य भारती महाविद्यालय
हरदी बाजार (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय ग्राम्य भारती महाविद्यालय
हरदीबाजार,जिला-कोरबा (छ.ग.)

NAAC द्वारा बी ग्रेड प्राप्त

Email-gbvphardibazar@gmail.com,Web.-ggbc.ac.in, विशिष्ट कोड–3109,Contact No. 7987342256

क्रमांक-999 /2026 हरदीबाजार, दिनांक-5 /11/2026

//अतिथि व्याख्याता एवं अन्य हेतु विस्तृत विज्ञापन//

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग) के पत्र क्रमांक ESTB-20235/637/2026-RAJPATRIT STHAPANA नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 18.08.2026 के पत्रानुसार एवं अतिथि व्याख्याता नीति 2024 (यथा संशोधित 2026) में दिये गये निर्देशों के अनुरूप शासकीय ग्राम्य भारती महाविद्यालय हरदीबाजार, जिला–कोरबा (छ.ग.) में अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता, अतिथि क्रीडा अधिकारी एवं अतिथि शिक्षण सहायक/क्रीड़ा सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदक अपने समस्त प्रमाण–पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 16.11.2026 को सायं 5:30 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रो पर विचार नहीं किया जायेगा ।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताः–

1. अतिथि व्याख्याता एवं अतिथि क्रीडा अधिकारियों को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (महाविद्यालय में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख–रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षण सहायक/क्रीडा सहायक के लिये स्नातकोत्तर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) एवं दिव्यांगजन वर्ग, अभ्यर्थियों के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए ।

2. आयु सीमा :– अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक। अतिथि क्रीडा अधिकारी एवं क्रीडा सहायक अधिकतम 62 वर्ष तक ।

3. छत्तीसगढ में अतिथि व्याख्याता भर्ती नियमों के अनुसार यदि मेरिट सूची में एक श्रेणी दो अभ्यर्थियों के अंक समान होते हैं, तो राज्य के मूल निवासी को वरियता दी जायेगी ।

विषय/पदों का विवरण :–

क्रमांक	विषय	रिक्त पद एवं संख्या	
		प्राध्यापक	सहा.प्राध्यापक/ क्रीड़ाधिकारी
1.	अंग्रेजी	0	01
2.	क्रीड़ा	0	01
	योग	**0**	**02**

टीप :– संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरुप पद भर जाने पर उक्त पद के विरूद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

शर्तें :–

1. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम. फिल./पी–एच.डी. अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।

02. दिनांक 16.11.2026 तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ई–मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा। वर्तमान में आफलाईन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जा रहे है। भविष्य में आवेदन स्वीकार करने की इस प्रक्रिया में आनलाईन, पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभावित होगा ।

03. अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी ।

04. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक 18.11.2026 को महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाईट www.ggbc.ac.in पर प्रकाशित किया जावेगा । वेबसाइट में विस्तृत विवरण भी अपलोड किया जायेगा ।

05. गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि 21.11.2026 तक होगी।

06. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक 23.11.2026 को किया जावेगा जिसका अवलोकन महाविद्यालय की वेबसाईट अथवा सूचना पटल में किया जायेगा ।

07. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरूद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्ध्दशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई है।

08. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

09. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।

10. मानदेयः–

अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत मानदेय निम्नानुसार होना प्रस्तावित हैः–

- अतिथि व्याख्याता मानदेय 2000/– प्रति कार्य दिवस (प्रतिमाह अधिकतम 50,000/–)
- अतिथि ग्रंथपाल/क्रीडा अधिकारी – 1600/– प्रति कार्य दिवस (प्रतिमाह अधिकतम 40,000/–)
- अतिथि शिक्षण सहायक– 1400/– प्रति कार्य दिवस (प्रतिमाह अधिकतम 35,000/–)
- अतिथि ग्रंथपाल सहायक/अतिथि क्रीड़ा सहायक 1200/– प्रति कार्य दिवस (प्रतिमाह अधिकतम 30,000/–)

11. आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता प्राचार्य, शास० ग्राम्य भारती महाविद्यालय हरदीबाजार,जिला–कोरबा (छ.ग.) पिन कोड–495446 एवं आवेदित विषय/पद आवश्यक रुप से लिखे ।

12. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता एवं अतिथि क्रीड़ाधिकारी को महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा और वे लोक–सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक–सेवक नहीं कहलायेंगे ।

13. संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।

14. इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा ।

15. कक्षाओं के संचालन के साथ–साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम. क्रीडा गतिविधियां, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यों में ये सहयोग प्रदान करेंगे ।

16. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नही होंगे ।

प्राचार्य

शास.ग्राम्य भारती महाविद्यालय हरदीबाजार,

जिला– कोरबा (छ.ग.)

प्राचार्य
शासकीय ग्राम्य भारती महाविद्यालय
हरदीबाजार, जिला - कोरबा (छ.ग.)